न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2022/406
मिसल नम्बर–85 / 2022

1.मोहन सिंह आत्मज माधो सिंह जी आयु 60 वर्ष जाति राजपूत
2.सूरज सिंह आत्मज माधोसिंह जी आयु 62 वर्ष जाति राजपूत निवासीगण ग्राम अभयपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.कमला पुत्री पन्ना जाति लश्करी
2.गजानन्द पुत्र जीवन जाति लश्करी
3.जगन्नाथ आत्मज देवा जाति लश्करी
4.पूरण पुत्र बिशनी जाति लश्करी निवासी गण अभयपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5.प्रदीप कुमार तिवारी आत्मज इन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी दुर्गा नगर, सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6.बंसी पुत्र पन्ना जाति लश्करी
7.बीरबल पुत्र गणेशरा जाति लश्करी
8.भंवरलाल पुत्र पन्ना जाति लश्करी
9.भीमराज पुत्र पन्ना जाति लश्करी
10.रमेशचन्द पुत्र गणेशराम जाति लश्करी
11.रामप्रसाद पुत्र बिशनी जाति लश्करी
12.सुगना बाई पुत्र बिशनी जाति लश्करी
13.सुरेश कुमार पुत्र गणेशराम जाति लश्करी निवासीगण ग्राम अभयपुर, तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
14.इन्द्रा बाई पत्नी प्रेमचन्द जाति लश्करी
15.पूरणमल पुत्र घांसीलाल जाति लश्करी
16.रतनलाल पुत्र घांसीलाल जाति लश्करी
17.रोहित शेखर पुत्र घनश्याम शेखर जाति लश्करी
18.सतीश शेखर पुत्र सोहनलाल शेखर जाति लश्करी निवासीगण ग्राम लाडपुरा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
19.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

—:निर्णय:—

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 28/2/25

उपस्थितिः—

1.श्री हरि सिंह अधिवक्ता प्रार्थी ।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना—पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना—पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम अभयपुर स्थित खसरा नम्बर 453 रकबा 0.053 हैक्टर आराजी स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी का रास्ता अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 13 के खातेदारी की आराजी ग्राम अभयपुर स्थित खसरा नम्बर 452 रकबा 1.20 हैक्टर में से 0.014 हैक्टर, अप्रार्थी क्रम 7, 10 व 13 के खातेदारी की खसरा नम्बर 456 रकबा 0.40 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर अप्रार्थी 14 लगायत 18 के खातेदारी की खसरा नम्बर 455 रकबा 2.22 हैक्टर में से 0.006 हैक्टर में से होकर है। उक्त प्रचलित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की आराजी ग्राम अभयपुर, पटवार हल्का जाखोड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा स्थित खसरा नम्बर 453 का अप्रार्थीगण की आराजी के प्रचलित रास्ते की भूमि की राशि अप्रार्थीगण को दिलाई जाकर राजस्व रिकॉर्ड में लाल स्याही से रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें अन्य सहायत भी प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से प्रदान की जावे।

अप्रार्थी नं0 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने अपने प्रार्थना पत्र की प्रार्थना में यह कहीं नहीं दर्शाया गया है कि वह किस नम्बर की आराजी में होकर नया रास्ता चाहता है केवल वह यह कथन कर रहा है कि उसे अपनी आराजी ख0नं0 453 में आने जाने का रास्ता दिलाया जावे उक्त कथन अस्पष्ट है कि प्रार्थी को किस खातेदार की किस साईड की कितनी भूमि रास्ते में चाहिये इस वर्णन प्रार्थना पत्र में कहीं भी अंकित नहीं है इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है एवं खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्पष्ट होने से मय खर्चा खारिज किया जावे।

प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बंध में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.10.2020 के अनुसार रास्ते बाबत तहसील से रिपोर्ट उभयपक्षकारान की मौजूदगी में गिरदावर से तैयार कर मंगवाई गई, जिसमें तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अभयपुरा के आराजी ख0नं0 453 रकबा 0.53 है0 भूमि पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत पर जाने के लिए खसरा नम्बर 456 की दक्षिणि मेड़ व 452 की उत्तरी मेड़ व 455 की पूर्वी व 452 की पश्चिमी मेड़ से नया रास्ता चाहा गया है जिसमें ख0नं0 456 व 452 की मध्य मेड़ से लम्बाई 68 मी0 व खसरा नं0 452 व 455 कि मध्य मेड़ सं0 लम्बाई 28 मी0 बनती है।

प्रार्थीपक्ष द्वारा दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित प्रार्थना पत्र एवं तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि मौके पर वर्तमान में रास्ता नहीं है, किन्तु प्रार्थी को कृषि कार्य के लिए रास्ता दिया जाना अत्यंत आवश्यक है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को नया रास्ता प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर प्रार्थीगण की ग्राम अभयपुरा पटवार हल्का जाखोड़ा में स्थित अपनी निजी खातेदारी की आराजी खसरा नं0 453 पर पहुँच के लिए ख0नं0 456 व 452 की मध्य मेड़ से लम्बाई 68 मी0 एवं चोड़ाई 4 मी0 व खसरा नं0 452 व 455 कि मध्य मेड़ से लम्बाई 28 मी0 चोड़ाई 4 मीटर भूमि नए रास्ते के रूप में दी जाती है तथा तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रदान किए गए रास्ते की भूमि के रकबे की गणना कर डीएलसी दर प्रति बीघा के दोगुना अनुसार तय राशि का भुगतान प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण को नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करे तथा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अमल दरामद करते हुये नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 28/2/21 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा